# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 6106/2022**

यतीश सरन **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, भू–जल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव (प्रथम), भू–जल विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, भू–जल विभाग, जोधपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 29.11.2022
**आदेश की दिनांक** : 09.05.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : स्वयं
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2001 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की दिनांक से पदोन्नत करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद से भू–जल विभाग, जोधपुर से सेवानिवृत्त कार्मिक है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 27.12.1966 के द्वारा चार्ज मैन के पद पर हुई थी। राजस्थान भू–जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 के तहत चार्जमैन को वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत योग्य माना है तथा 75 प्रतिशत वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पदोन्नत द्वारा भरे गए हैं, जो तीन वर्ष का आई.टी.आई. एवं अनुभव योग्यताधारी को योग्य माना है। अपीलार्थी ने चार्जमैन के पद पर लगातार कार्य किया और वह वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत योग्य था, परन्तु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री प्रकाश चंद को पदोन्नत कर दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट

याचिका प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय द्वारा उसकी याचिका स्वीकार की गई, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 30.06.1979 से वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति प्रदान की। उनका कथन है कि यदि कोई कार्मिक चार्जमैन अथवा वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत है, तो वह सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति योग्य है। नियम, 1969 के तहत सहायक अभियंता के पद 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 25 प्रतिशत सहायक अभियंता के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, जो ब्लास्टिंग सुपरवाईजर, वर्कशॉप सुपरवाईजर, स्टोर सुपरवाईजर, ड्रिलिंग सुपरवाईजर, ड्रिलिंग फोरमैन, सुपरवाईजर स्टेट ट्यूबवैल, कनिष्ठ अभियंता, इलेक्ट्रिक्ल सुपरवाईजर एवं चार्जमैन आदि को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जिसमें योग्यता एवं पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होता है, जिसमें जो डिप्लोमाधारी अथवा आठ वर्ष का अनुभव रखते हैं। विभाग द्वारा नियम, 1969 के नियम 9 के द्वारा प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक वर्ष कार्मिकों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है और जो कार्मिक पदोन्नति योग्य होते हैं, उन्हें डी.पी.सी. के माध्यम से पदोन्नत किया जाता है, जिसमें 50 प्रतिशत वरिष्ठता एवं मेरिट तथा 50 प्रतिशत मेरिट के आधार पर नियम 25 के नियम (9) के तहत जोन ऑफ कंसीडेरेशन के आधार पर योग्य कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियोक्ता अधिकारी द्वारा कभी भी रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। अपीलार्थी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया एवं आई.टी.आई. योग्यता अर्जित की। सहायक अभियंता के पद के लिए पांच वर्ष का अनुभव या आठ वर्ष का अनुभव जो डिप्लोमाधारी है, उक्त पदोन्नति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 1975 में आठ वर्ष का अनुभव चार्जमैन के पद का रखता है एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वर्ष 1978 में अर्जित किया। इस प्रकार अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य था।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत कर दिया गया जबकि अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि एन.के.दत्ता वाले मामले का निर्णय आने के बाद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संयुक्त वरिष्ठता सूची प्रारंभिक नियुक्ति की दिनांक से तैयार की गई, जिसमें जोन ऑफ कंसीडेरेशन के आधार पर जो कार्मिक योग्य थे, उन्हें सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया, परंतु अपीलार्थी के संबंध में उसकी

पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी के अभ्यावेदन का कोई निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 03.08.2001 के द्वारा अपीलार्थी को जोन ऑफ कंसीडेरेशन के तहत वर्ष 1990–91 के लिए रिव्यू डी.पी.सी. की गई, जिसमें श्री जुगल किशोर, रतन सिंह को पदोन्नत किया गया, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी से कई कार्मिक कनिष्ठ थे, फिर भी उनको वरिष्ठता एवं मेरिट के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध न कोई विभागीय जांच लम्बित है और ना ही उसकी ए.सी.आर. खराब है, फिर भी अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2001 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की दिनांक से पदोन्नत करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3280/1996 प्रस्तुत की। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.05.1999 को पारित करते हुए अपीलार्थी की याचिका स्वीकार की गई तथा अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में पुनः विचार करने के निर्देश दिए गए और यदि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1991 में पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो उसे समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 29.03.1996 को रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें रिव्यू डी.पी.सी. के तहत वरिष्ठता सूची दिनांक 06.01.1995 के आधार पर 10 कार्मिकों को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1990–91 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मेरिट के आधार पर योग्य नहीं पाया गया। इसलिए अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 1990–91 के विरूद्ध अपीलार्थी के पदोन्नति पर विचार करने हेतु आदेशित किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः उसकी पदोन्नति पर विचार न करने की गलती की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने डी.पी.सी.

द्वारा जिन कार्मिकों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया, पदोन्नति करते समय उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मनमाने रूप से सूची तैयार कर पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया गया, जो नियमानुसार गलत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद से भू–जल विभाग, जोधपुर से सेवानिवृत्त कार्मिक है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 27.12.1966 के द्वारा चार्जमैन के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत योग्य था, परन्तु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय द्वारा उसकी याचिका स्वीकार की गई, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 30.06.1979 से वर्कशॉप सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति प्रदान की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 3280/1996 में पारित आदेश दिनांक 06.05.1999 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू डी.पी.सी. रिक्ति वर्ष 1991 के विरूद्ध आयोजित की गई, जिसमें कई कार्मिकों को सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया गया और पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी उस दौरान सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य नहीं था। अपीलार्थी की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3280/1996 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.05.1999 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2001 के द्वारा तीन कार्मिकों को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी के संबंध में उक्त आदेश में कोई जिक्र नहीं किया गया, जो हमारे विनम्र मत में उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1990–91 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है, तो उसके संबंध में रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु उसके

नाम पर विचार किया जावे और यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे नियमानुसार समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**